

आदेश

इस कार्यालय के आदेश पृ० क्रमांक 841-45 दिनांक 09.07.2026 द्वारा श्री राजेन्द्र, वन दरोगा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर की पिंजौर ब्लॉक, मोरनी-पिंजौर मण्डल पर लगाई गई अतिरिक्त ड्यूटी को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया जाता है।

इसके अतिरिक्त श्री राजेन्द्र, वन दरोगा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर की उसके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ड्यूटी मोरनी ब्लॉक, मोरनी-पिंजौर मण्डल में लगाई जाती है तथा श्री राजबीर सिंह, वन दरोगा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर की उसके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ड्यूटी पिंजौर ब्लॉक, मोरनी-पिंजौर मण्डल में लगाई जाती है।

नोट :- अतिरिक्त ड्यूटी का कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा।

दिनांक : 24.07.2026

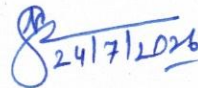
डॉ० के० सी० मीना, भा० व० से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/991-96

दिनांक:- 24-7-2026

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक 2267 दिनांक 26.06.2026 के संदर्भ में।
2. वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर।
3. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, हरियाणा, पंचकूला।
4. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री राजेन्द्र, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर।
6. श्री राजबीर सिंह, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर।


24/7/2026

अधीक्षक प्रशासन,

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।